प्रेस नोटः- दिनांक 15 जून 2025

अन्तर्राज्यीय मादक पद्वार्थ तस्करी गैंग का 01 सदस्य 03 किलो 35 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम के साथ गिरफ्तार

शासन द्वारा मादक पदार्थो की तस्करी व क्रय/विक्रय की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ डॉ0 बृजेश कुमार सिंह के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद बदायूँ श्री के0के0 सरोज के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सहसवान श्री कर्मवीर सिंह के नेतृत्व में एनडीपीएस अधिनियम जब्त एजेन्सी एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स मेरठ तथा थाना बिसौली जनपद बदायूँ की संयुक्त टीम द्वारा अंन्तर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी करने वाले गिरोह के 01 सदस्य को 03 किलो 35 ग्राम अवैध मादक पद्वार्थ अफीम के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

घटनाक्रमः- एनडीपीएस अधिनियम जब्त एजेन्सी एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स मेरठ तथा थाना बिसौली जनपद बदायूँ की संयुक्त टीम द्वारा मादक पद्वार्थ ब्रिकी एवं तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग के दौरान मुखबिर की सटीक सूचना पर बिसौली बदायूँ रोड सड़क किनारे ग्राम बसई के पास से एक नफर अभियुक्त देवेन्द्र पुत्र प्रेमपाल नि0 ग्राम धर्मपुर बिहारीपुर थाना बिसौली जनपद बदायूँ को पकडा गया जिसके कब्जे से 03 किलो 35 ग्राम अवैध मादक पद्वार्थ अफीम बरामद हुयी। मौके से उसके साथी रवि शर्मा व संतोष शर्मा उर्फ पण्डित नि0गण वजीरगंज जनपद बदायूँ भागने में सफल हो गये। जिसके सम्बन्ध मे थाना बिसौली पर मु0अ0सं0 175/25 धारा 8/18/29/60 एनडीपीएस एक्ट बनाम 1. देवेन्द्र पुत्र प्रेमपाल नि0 ग्राम धर्मपुर बिहारीपुर थाना बिसौली जनपद बदायूँ 2. रवि शर्मा पुत्र नामालूम 3. संतोष शर्मा उर्फ पण्डित नि0गण वजीरगंज जनपद बदायूँ पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार हुए अभि0 देवेन्द्र उपरोक्त को माननीय न्यायालय बदायूँ के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

- देवेन्द्र पुत्र प्रेमपाल नि0 ग्राम धर्मपुर बिहारीपुर थाना बिसौली जनपद बदायूँ

बरामदगी का विवरण

- 03 किलो 35 ग्राम अवैध मादक पद्वार्थ अफीम बरामद

- एक मो0सा0 TVS अपाचे UP24B08446

सोशल मीडिया सेल, बदायूँ।